भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1178
दिनांक 11 फरवरी, 2025 / 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

केरल चेतावनी संकट और जोखिम प्रबंधन प्रणाली

†1178. श्री के. सुधाकरनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित केरल चेतावनी संकट और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई निधि प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को दो चरणों में लागू किया है। चरण-। में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को शामिल किया गया था। चरण-॥ में यह परियोजना छह राज्यों गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी। परियोजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:-

घटक कः पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस)

घटक खः चक्रवात जोखिम प्रशमन संबंधी अवसरंचना (सीआरएमआई)

घटक गः तकनीकी सहायता एवं क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण

घटक घः कार्यान्वयन संबंधी सहायता

घटक क के तहत, केरल राज्य सरकार ने ''कवचम" नामक एक ईडब्ल्यूडीएस परियोजना विकसित की है। एनसीआरएमपी चरण-॥ के तहत ईडब्ल्यूडीएस परियोजना के लिए केरल राज्य को 65.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

*****